सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

नागरिक अधिकार पत्र

निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

बीमा भवन,सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर –302016

फोन : निदेशक –2200786 : सतर्कता : 2205464

पी.ए.बी.एक्स. 2202347, 2202348, 2201627

फैक्स : 2203344

राजस्थान सरकार

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

नागरिक अधिकार पत्र

राज्य सरकार के 6.5 लाख कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा निम्न योजनाओं का संधारण व संचालन किया जाता हैं।

1. राज्य बीमा योजना :

1. यह योजना प्रदेश के समस्त राज्यकर्मियों पर अनिवार्य रूप से लागू हैं। विभाग द्वारा जारी की गई बीमा प्रसंविदाओं के अधीन देय लाभ राज्य की संचित निधि से चुकाने की राज्य सरकार गारण्टी देती हैं।

2. विभाग द्वारा जारी किसे जाने वाले बीमा प्रमाण–पत्र के अन्तर्गत देय बीमा धन न्यायालय द्वारा डिकी एवं उसकी कियान्विति में कुर्की से मुक्त हैं।

3. पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमेदार की मृत्यु पर बिना अतिरिक्त प्रीमियम लिये दुगुने बीमाधन का भुगतान किया जाता हैं।

4. सावधि बीमा योजना में देय प्रीमियम पर अन्य बीमा कम्पनियों की तुलना में बीमाधन (परिपक्वता पर देय राशि) अधिक देय हैं।

5. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी पॉलिसियों की तुलना में राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत जारी पॉलिसियों पर देय बोनस की दर अधिक है ।

6. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 88 के अन्तर्गत योजना में जमा प्रीमियम राशि पर आयकर प्रावधानों में निहित छूट राज्यकर्मियों को उपलब्ध है ।

7. वर्तमान में राज्य बीमा प्रीमियम की कटौती दरें निम्न प्रकार निर्धारित की गई हैं:—

क्र.सं.	मूल वेतन	(मासिक प्रीमियम)
1.	रूपये 2550 से 3700 तक	150 / —
2.	रूपये 3701 से 5000 तक	200 / —
3.	रूपये 5001 से 8000 तक	400 / —
4.	रूपये 8001 से 12000 तक	600 / —
5.	रूपयें 12001 से अधिक पर	1000 / —
6.	अधिकतम सीमा	1300 / —

8. बीमेदार बीमा पॉलिसी की परिपक्वता तिथि से पहले किसी कारण राज्य सेवा त्याग देता हैं तो छः माह की अवधि में निम्न तीन विकल्पों में से किसी एक का चयन कर सकता हैं:—

   क. प्रमियम देते हुये पॉलिसी को परिपक्वता तिथि तक जारी रखना।
   ख. बिना प्रिमियम चुकाये परिपक्वता तिथि पर परिदत्त (पेड़अप) मूल्य प्राप्त करना।
   ग. पॉलिसी का अध्यर्पण (सरेण्डर) मूल्य प्राप्त करना।

9. कटौतियॉ नियमित वेतन बिल से की जाती हैं तथा प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी द्वारा स्वयं प्रीमियम जमा कराया जाता हैं।

बीमेदार के अधिकार

1. बीमा योजना में बिना कोई कारण इंगित किये कुल अध्यर्पण मूल्य का 90 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त किया जा सकता हैं।

2. कर्मचारी स्वय की पदोन्नति / वेतन वृद्धि अथवा स्वेच्छा से निर्धारित खण्ड दर से दो दर अधिक की कटौती करवा सकता हैं।

3. बीमेदार सेवा में प्रवेश के समय पति / पत्नि / बच्चों / भाई / बहिन / माता अथवा पिता में से किसी एक को अथवा एक से अधिक को मनोनीत कर सकता हैं। लेकिन विवाह से पूर्व किया गया मनोनयन विवाह उपरान्त पति / पत्नि के पक्ष में स्वतः निरस्त हो जाता हैं। इसके अतिरिक्त बीमेदार कभी भी मनोनयन परिवर्तन कर सकता हैं।

4. आहरण वितरण अधिकारी से सही पॉलिसी संख्या की जॉच करवाना तथा बीमा रिकार्ड बुक का संधारण करवाना।

बीमा प्रकरणों के निस्तारण की समय—सारणी

1.. बीमा ऋण	10 दिवस
2. बीमा खाता स्थानान्तरण	प्रति माह 15 तारीख
3. बीमा स्वत्व	30 दिवस
4. बीमा पॉलिसी जारी करना	प्रथम कटौती के दो माह में
5. बीमा रिकार्ड बुक वर्ष 02–03 से कटौतियों का सत्यापन	10 दिवस

नोट :– उपरोक्त निस्तारण दिवस प्रकरण के पूर्ण प्रपत्र प्राप्त होने की तिथि से लागू हैं।

2. सामान्य प्रावधायी निधि योजना

1. योजना के अन्तर्गत जमा राशि पर घोषित ब्याज दर के अनुरूप चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है । वर्तमान में दिनांक 1–4–2001 से ब्याज की दर 9.50 प्रतिशत वार्षिक है । पूर्व में ब्याज दरें निम्न प्रकार रही हैं:–

वर्ष	ब्याज दर प्रतिशत	वर्ष	बयाज दर प्रतिशत
1980–81	08.50	1985–1986	10.50
1981–83	09.00	1986–2000	12.00
1983–84	09.50	2000–2001	11.00
1984–85	10.00		

2. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 88 के अन्तर्गत खाते में प्रति वर्ष जमा करवायी जाने वाली राशि पर आयकर गणना में छूट का प्रावधान है।

3. योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अस्थायी/स्थायी आहरण दिये जाने का प्रावधान है ।

4. योजना के अन्तर्गत कटौती की दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई है :–

क्र.सं.	वेतन खण्ड	मासिक अंशदान
1	रूपये 4000/– तक	300/–
2	रूपये 4001/– से 5000/– तक	400/–
3	रूपये 5001/– से 6500/– तक	700/–
4	रूपये 6501/– से 8500/– तक	1000/–
5	रूपये 8501/– से 10500/– तक	1400/–
6	रूपये 10501/– से 12000/– तक	2000/–
7	रूपये 12001/– से 14000/– तक	2600/–
8	रूपये 14000/– से अधिक	3400/–

8. अंशदान नियमित वेतन बिल से किया जाता हैं तथा प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी द्वारा स्वयं अंशदान जमा कराया जाता है। अंशदाता चाहे तो निर्धारित कटौती दर से अधिक कटौती ऐच्छिक रूप से जमा करवा सकता है।

खातेदार के अधिकार

1. प्रावधायी निधि योजना के अंतर्गत अंशदाता की स्वयं अथवा उसके परिवार के सदस्यों की बीमारी के उपचार, उच्च शिक्षा, कानूनी कार्यवाही में व्यय एवं भवन मरम्मत व नवीनीकरण हेतु अस्थाई आहरण के रूप में जमा का 50 प्रतिशत अथवा 3 माह के वेतन दोनों में से जो भी कम हो दये हैं।

2. प्रावधायी निधि योजना के अंतर्गत पुत्र/पुत्री की सगाई/शादी करने, भुखण्ड/आवास क्रय करने एवं भवन निर्माण/मरम्मत के लिये जमा का 75 प्रतिशत तथा स्वयं या संतान की उच्च शिक्षा, परिवार के सदस्यों की बीमारी,वाहन एवं स्थायी उपभोंग की वस्तु क्रय करने (स्थायी उपभोग की वस्तुओं के क्रय के संबंध में उपकरणों की कीमत के 75 प्रतिशत तक) के लिये कुल जमा का 50 प्रतिशत स्थाई आहरण के रूप में देय हैं।

3. प्रावधायी निधि में निर्धारित कटौती दर से अधिक ऐच्छिक रूप से करवा सकता हैं, परन्तु यह कटौती पूर्ण वर्ष में वार्षिक परिलब्धियों से अधिक नहीं हो सकती हैं।

4. सामान्य प्रावधायी निधि योजना के अन्तर्गत अंशदाता अपनी कटौतियॉ पासबुक में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अंकित करवा कर वर्ष में एक बार इस विभाग से सत्यापित करवा सकता हैं।

3. अंशदायी प्रावधायी निधि योजना

विभाग द्वारा जलदाय, सिंचाई, वन,सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं खान विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों पर लागू अंशदायी प्रावधायी निधि योजना के खातों का संधारण, अर्द्धस्थायी होने पर पेन्शन विकल्प स्वीकार करने का कार्य किया जाता हैं।

4. अखिल भारतीय सेवाएं

अखिल भारतीय सेवाओं के पी.एफ. एवं समूह बीमा योजना का संधारण विभाग द्वारा किया जाता हैं।

प्रावधायी निधि योजना प्रकरणों के निस्तारण की समय–सारणी

1.	जी.पी.एफ. पासबुक सत्यापन	7 दिवस
2.	जी.पी.एफ. अंतिम आहरण	7 दिवस
3.	जी.पी.एफ. स्वत्व	30 दिवस
4.	जी.पी.एफ. खाता स्थानान्तरण	प्रतिमाह 15 तारीख
5.	जी.पी.एफ. खाता संख्या जारी करना	प्रथम बिल प्राप्ति के साथ

नोटः– उपरोक्त निस्तारण दिवस प्रकरण के पूर्ण प्रपत्र प्राप्त होने की तिथि से लागू हैं।

5. साधारण बीमा योजना

साधारण बीमा योजना के अंतर्गत अग्नि,मोटर,पारगमन, विविध बीमा का आवरण उपलब्ध कराया जाता हैं। इसके अतिरिक्त राज्यकर्मियों हेतु दिनंक 1–5–1995 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना एवं समस्त शासकीय विद्यालयों के कक्षा प्रथम से बारहवीं तक के विद्यार्थियों हेतु दिनांक 14–11–96 से विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना प्रारम्भ की गई हैं।

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में 1–5–2002 से 150/– रूपये वार्षिक प्रीमियम राज्य कर्मियों के माह अप्रेल देय मई के वेतन से कटौती की जाकर पालिसी का प्रतिवर्ष 1 मई से नवीनीकरण किया जाता हैं।

विशेषताएं

1. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा/विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना से मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों की दशा में क्षति की प्रकृति के अनुसार निम्नानुसार विभिन्न राशियों का भुगतान देय हैं।

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	देय भुगतान	विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना	देय भुगतान
1. दुर्घटना से मृत्यु	2 लाख रू.	दुर्घटना में मृत्यु	20000/–
2. अन्य क्षतियां	2000 से 2 लाख तक	अन्य क्षतिया	1000से 20000/–तक

साधारण बीमा योजना प्रकरणों के निस्तारण की समय–सारणी

1.	वि.सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना	15 दिवस
2.	सा.बीमा योजना	30 दिवस
3.	समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	30 दिवस

नोटः– उपरोक्त निस्तारण दिवस प्रकरण के पूर्ण दस्तावेज तथा साधारण बीमा योजना में सर्वेयर तथा समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में इनवेस्टीगेटर की रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से लागू हैं।

बीमेदार/खातेदार/आहरण एवं वितरण अधिकारियों से विभाग की अपेक्षायें।

1. बीमेदार/खातेदार द्वारा विभाग से पत्राचार करते समय अपनी सही बीमा पॉलिसी/खाता संख्या का अंकन किया जाना चाहिये ।

2. सामान्य प्रावधायी निधि योजना के अंतर्गत कर्मचारी सेवा में प्रविष्ट होने के प्रथम माह से ही अंशदान देना प्रारम्भ करता है । अंशदाता के खाता संख्या आवंटन हेतु मनोनयन प्रपत्र एवं अपेण्डेक्स 'डी' प्रथम वेतन बिल के साथ संलग्न करने चाहियें ।

3. राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कर्मचारी के सेवा में प्रविष्ट होने के बाद आने वाले 1 अप्रैल से बीमित होता है । बीमेदार को पॉलिसी संख्या आवंटन हेतु प्रथम घोषणा पत्र माह मार्च के वेतन बिल के साथ संलग्न करना चाहियें ।

4. बीमेंदार/खातेदार द्वारा अपने खातों के स्थानान्तरण हेतु पूर्ण विवरण यथा बीमा पॉलिसी/खाता संख्या, अवधि कब से कब तक व आहरण एवं वितरण अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करना चाहियें ।

5. पॉलिसी के परिपक्वता भुगतान हेतु परिपक्वता तिथि से तीन माह पूर्व कटौति बन्द कर स्वत्व प्रपत्र मय मूल पॉलिसी, सेवानिवृति आदेश की प्रति व सेवाकाल का विवरण तथा प्रावधायी निधि योजना के अंतर्गत अंतिम भुगतान हेतु जी.पी.एफ. पासबुक संलग्न करनी चाहियें ।

6. वेतन बिलों के साथ बीमा एवं जी.पी.एफ. कटौती पत्रों में सही बीमा पॉलिसी/जी.पी.एफ. खाता संख्या अंकित करवाना चाहिये ।

(बी.के.मीणा)

मुख्यालय/संभाग/जिला कार्यालयों के दूरभाष नम्बर

अधिकारी	कार्यालय	फोन नं.
अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन	जयपुर	0141–2201061
अतिरिक्त निदेशक, बीमा	जयपुर	0141–2201858
अतिरिक्त निदेशक, प्रा.निधि	जयपुर	0141–2201350
अतिरिक्त निदेशक, सा.बी.नि.	जयपुर	0141–2740219
अतिरिक्त निदेशक	अजमेर संभाग	0145–2621978
उप निदेशक	अजमेर	0145–2427147
सहायक निदेशक	ब्यावर	0146–250345
उप निदेशक	भीलवाडा	01482–226383
उप निदेशक	नागौर	01582–240487
सहायक निदेशक	टोंक	01432–248091
अतिरिक्त निदेशक	बीकानेर संभाग	0151–2526313
उप निदेशक	बीकानेर	0151–2544317
सहायक निदेशक	चुरू	01562–250929
उप निदेशक	श्री गंगानगर	0154–2461433
सहायक निदेशक	हनुमानगढ	01552–250973
अतिरिक्त निदेशक	भरतपुर संभाग	05644–228207
उप निदेशक	भरतपुर	05644–222123
सहायक निदेशक	सवाई माधोपुर	07662–220476
सहायक निदेशक	करौली	07464–220042
सहायक निदेशक	धौलपुर	05642–220824
अतिरिक्त निदेशक	जयपुर संभाग	0141–2203147
उप निदेशक	जयपुर शहर	0141–2201938
उप निदेशक	जयपुर ग्रामीण	0141–2203571
उप निदेशक	जयपुर सचिवालय	0141–2227948
उप निदेशक	सीकर	01572–252122
उप निदेशक	झुंझुनू	01597–232559
उप निदेशक	अलवर	0144–2348168
सहायक निदेशक	दौसा	1427–223549
अतिरिक्त निदेशक	जोधपुर संभाग	291–2650512
उप निदेशक	जोधपुर शहर	291–2650514
सहायक निदेशक	जोधपुर ग्रामीण	291–2650516
सहायक निदेशक	बाडमेर	2982–220675
सहायक निदेशक	जैसलमेर	2992–252524
उप निदेशक	पाली	2932–221524
सहायक निदेशक	सिरोही	2972–222425
सहायक निदेशक	जालौर	2973–222397
अतिरिक्त निदेशक	कोटा संभाग	744–2322576
उप निदेशक	कोटा	744–2322186
सहायक निदेशक	बांरा	7453–230260
सहायक निदेशक	झालावाड	7432–232592
सहायक निदेशक	बून्दी	747–2443735
अतिरिक्त निदेशक	उदयपुर संभाग	294–2584735
उप निदेशक	उदयपुर	294–2583679
सहायक निदेशक	राजसमन्द	2952–220594
उप निदेशक	चित्तौडगढ़	1472–241001
सहायक निदेशक	प्रतापगढ़	1478–222249
सहायक निदेशक	डूंगरपुर	2964–232528
सहायक निदेशक	बांसवाड़ा	2962–243506